Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241 Volume - 3, Issue - 6, Nov-Dec – 2020
Bi-Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 3.589
Received on : 15/12/2020 Accepted on : 29/12/2020 Publication Date: 31/12/2020

भारतीय चुनाव प्रणाली में मतदान व्यवहार

डॉ. मीनाक्षी विजय
व्याख्याता, लोक प्रशासन
एस.एस. जैन सुबोध कालेज आफ ग्लोबल एक्सीलैंस, जयपुर (राजस्थान)
Email - meenakshivijay1@gmail.com

सार: मनुष्य के विकास में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि संस्थाओं का बहुत योगदान है। लोकतंत्र एक मात्र व्यवस्था है जो समस्त नागरिकों को सत्ता निर्माण प्रक्रिया तथा राजनीतिक प्रणाली में सक्रिय सहभागिता और रचनात्मक भूमिका के समान तथा सम्पूर्ण अवसर प्रदान करती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के अन्तर्गत निर्वाचन ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी समुदाय या संगठन के सदस्य निश्चित नियमों के अनुसार एक या अनेक व्यक्तियों को अपनी ओर से सत्ता का प्रयोग करने के लिए चुनते हैं। किसी भी देश में लोकतंत्र की मजबूती और उसका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वहां के मतदाताओं का दृष्टिकोण कितना व्यापक है, उनका व्यवहार कैसा है और मतदान को वे किस रूप में लेते हैं? भारतीय राजनीति में मतदान में भाग लेने वाले व्यक्ति सामान्यतया जिन तत्वों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उन्हें हम अध्ययन की सुविधा के लिए दो श्रेणियों सामाजिक-आर्थिक परिवेश तथा राजनीतिक परिवेश में विभाजित कर सकते हैं। जैसे-जैसे व्यक्ति का राजनीति के प्रति अनुस्थापन होता है वह मतदान की प्रक्रिया द्वारा राजनीति में भाग लेने का निश्चय करता है, वह मतदान के द्वारा सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करता है।

प्रमुख शब्द: चुनाव प्रणाली, राजनीति, मतदान, मनुष्य , व्यवहार ।

परिचय:

मनुष्य में सभ्यता के विकास में 'शासन-व्यवस्था' के सुसंचालन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मनुष्य के विकास में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि संस्थाओं का बहुत योगदान है। इन सभी संस्थाओं के सम्यक संचालन, नियमन, नीति निर्धारण आदि को दृष्टिगोचर करते हुए विभिन्न व्यवस्थाओं तथा तन्त्रों की रचना ओर उनमें देश, काल एवं स्थितियों के अनुरूप संशोधन एवं परिमार्जन मानव की तत्ववादी जिज्ञासा का सार्वजनिक प्रकटीकरण है।

राज्य और उसके विभिन्न अंगों-उपांगों के अध्ययन एवं विश्लेषण में रूचि रखने वालों ने प्रायः लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना है। लोकतंत्र निश्चित ही मानव के सर्वतोमुखी विकास के द्वार खोलता है। लोकतंत्र एक मात्र व्यवस्था है जो समस्त नागरिकों को सत्ता निर्माण प्रक्रिया तथा राजनीतिक प्रणाली में सक्रिय सहभागिता और रचनात्मक भूमिका के समान तथा सम्पूर्ण अवसर प्रदान करती है ।

प्रतिनिधि लोकतंत्र के अन्तर्गत निर्वाचन ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी समुदाय या संगठन के सदस्य निश्चित नियमों के अनुसार एक या अनेक व्यक्तियों को अपनी ओर से सत्ता का प्रयोग करने के लिए चुनते हैं। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी रहकर प्रशासन का संचालन करते हैं। आम चुनावों की अनिवार्यता के सम्बन्ध में के. सन्थानम ने लिखा है कि "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रजातंत्र का अविभाज्य अंग होते हैं। सामयिक मतदान द्वारा व्यवस्थापिका, राजनीतिक दलों और सरकारों पर स्वीकृति या अस्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई प्रजातांत्रिक सरकार कार्य नहीं कर सकती। निर्वाचन को इस बात का प्रमाण माना जाता है कि शासन सत्ताधारी अपनी सत्ता का प्रयोग शासितों की सहमति से करेंगे। अतः निर्वाचन उसकी सत्ता को वैद्यता प्रदान करता है।

एडवर्ड शिल्स ने हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया कि चुनाव व्यक्ति को अपने महत्त्व तथा अपनी भावुकता को सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रतीकों से जोड़ने में सहायक है।3 निर्वाचन लोकतंत्र का आधार माना जाता है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और उन्हें सत्ता सौंप देती है। मताधिकार सबको प्रभावित करता है।

विषय वस्तु: किसी भी देश में लोकतंत्र की मजबूती और उसका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वहां के मतदाताओं का दृष्टिकोण कितना व्यापक है, उनका व्यवहार कैसा है और मतदान को वे किस रूप में लेते हैं? कहा जाता है कि किसी लोकतंत्र को वैसी ही सरकार मिलती है जैसे उसके मतदाता होते हैं।

मतदान देश के नागरिकों का एक सशक्त अधिकार है। साथ ही यह एक पावन कर्तव्य भी है जो इस धारणा पर आधारित है कि प्रभुसत्ता जनता में निहित है। चूंकि मतदान प्रभुसत्ता का एक अंश होता है इसलिए उसे मतदान कर अपने राष्ट्रीय कत्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। चुनाव के समय मतदान कई प्रकार की बातों से प्रभावित और भ्रमित होता है तथा मतदान की अपनी अवधारणा के आधार पर ही उसका व्यवहार तय होता है। विभिन्न मुद्दों, बातों और कार्यक्रमों से प्रभावित होकर मतदाता किसी दल विशेष के पक्ष या उसके विपक्ष में मतदान करता है। मतदाताओं का एक बड़ा प्रतिशत राज्यों में दल निष्ठा से प्रेरित रहता है। यहाँ मतदान व्यवहार में स्थिरता का प्रमुख कारण भी यही माना जाता है। परन्तु चुनाव परिणाम में परिवर्तन का स्पष्टीकरण देने के लिए आगे बढ़ना होता है। एलेन बाल का मत है कि हर राज्य में ढुलमुल मतदाआतों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे मतदाता ही चुनाव को परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। इनके सामने राजनीतिक दलों की कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं होती है और वे किसी भी दल के साथ अपने को जोड़ने में असफल होते हैं। ऐसे मतदाता राजनीतिक प्रश्नों पर अच्छी जानकारी नहीं रखते और दलीय निष्ठा वाले स्थिर मतदाआतों की अपेक्षा राजनीति में उनकी कम दिलचस्पी होती है। अतः इनका मतदान व्यवहार बहुत निश्चित सा होता है, उसके नियामक तथ्य भी हर चुनाव तथा यहां तक कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र मं भी अलग-अलग हो सकते हैं।

मतदान का व्यावहारिक विश्लेषण

मतदान के व्यावहारिक विश्लेषण से हमें व्यक्तिगत मनोवृत्ति तथा प्रतिनिधि के व्यवहार को समझने का अवसर मिलता है। वास्तव मे प्रचलित नीति या प्रजातांत्रिक प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रभावित होता है। ये मतदाता सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में अपना बड़ा योगदान अदा करते हैं और हमें अनुमति प्रदान करते हैं ताकि हम अच्छी सरकार द्वारा प्रदत्त आंशिक लाभों को समझ सकें और उनको एक लाभकारी राजनीतिक पार्टी की हैसियत से जान सकें। प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक योगदान व्यक्तिगत योगदान की शक्ति को परिभाषित करता है तथा अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक उद्देश्यों की क्रियान्वति व्यक्तिगत व्यवहार के तौर पर करता है।

मतदाता की पारिवारिक स्थिति, उसका समुदाय और उसकी सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि में हमेशा प्रेरित करने की अवधारणा है। उसका मूल मंत्र इत्यादि एक मतदान व्यवहार के प्रति सम्भव मतदाता के समान व्यवहार करते हैं।

व्यक्तिगत तौर पर मतदान व्यवहार जो राजनीतिक व्यवहार को दर्शाता है, का मतदान के समय अध्ययन किया जा सकता है, विवेचन किया जा सकता है और अवलोकन भी किया जा सकता है। देश का मतदाता अपने इच्छुक प्रतिनिधि का चयन करने के लिए और उसे देश की सरकार में प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए मतदान करता है। इस प्रकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना में मतदान का एक महत्वपूर्ण योगदान है।

चुनाव को किसी भी संगठन द्वारा व्यवस्थित रूप से आयोजित प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। एक राज्य की स्थिति में यह एक क्लब या स्वयंसेवी संगठन हो सकता है, जहां सभी या कुछ सदस्य मिलकर केवल एक छोटे समूह का निर्वाचन करते हैं या चयन करते हैं। जिसके संगठन के अधिकार क्षेत्र में एक उचित आफिस और अधिकार दिये जाते हैं? यह एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से प्रत्येक मतदाता अपनी इच्छानुसार इच्छित प्रतिनिधि का चयन करने की कोशिश करता है। मतदान के द्वारा यह प्रत्येक मतदाता को सक्षम बनाता है। यह नेताओं के चयन में और मुद्दों के निर्णय में भी सहायता करता है।7 इसके अलावा यह एक अतिमहत्वपूर्ण उपकरण भी है जो किसी भी सामाजिक संगठन को औपचारिक निर्णय लेने की स्थिति प्रदान करता है, जहां चुनाव में प्रत्येक मतदाता को भयमुक्त होकर बिना किसी अवरोध के अपनी इच्छानुसार मतदान करने का अधिकार दियाजाता है। एक राजनीतिक व्यवस्था में बिना किसी कठिनाई के राजनीतिक सफलता को बढ़ावा मिलता है।

मतदान समय≤ पर व्यक्तियों, जातियों और अन्य समूहों को राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए इसे

राजनैतिक भागीदारी का प्रारम्भिक कार्य माना जाता है। मतदान व्यवहार का सम्बन्ध व्यक्तिगत तौर पर अभिव्यक्तियों के विवेचन और निर्माण की प्राथमिकता से है। मतदान में सहभागिता के विशिष्ट स्वरूप को मतदान व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। मतदान व्यवहार की परिधि में मत देने में रूचि अथवा ऐसी रूचि के अभाव और मत देने में रूचि को अनुकूलतः ओर प्रतिकूलतः प्रभावित व निर्धारित करने वाले कारक विभिन्न स्तरों पर होने वाले निर्वाचनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मतदान व्यवहार को समझने के लिए यह भी आवश्यक है कि इस बात का अध्ययन किया जाए कि मतदाता अपने इस अधिकार का प्रयोग करते समय किन-किन तत्वों से प्रभावित होता है। मतदान में प्रथम तो यह भी अध्ययन किया जाता है कि मतदाता को मतदान करने के लिए कौन-कौन से तत्व प्रेरित करते हैं और कौन-कौन से तथ्य निरूत्साहित करते हैं। साथ ही मतदान व्यवहार में यह भी अध्ययन किया जाता है कि किन तत्वों से प्रभावित होकर मतदाता किसी विशेष राजनीतिक दल और किसी विशेष उम्मीदवार को मत देता है।9 मतदाताओं के मतदान आचरण का विश्लेषण करना एक कठिन कार्य है क्योंकि

यह विविध प्रकार के बाह्य एवं आन्तरिक कारकों द्वारा प्रभावित होता है तथा साथ ही विभिन्न निवार्चन क्षेत्रों के मतदाताओं के आचरण में काफी भेद होता है।

मतदान व्यवहार से तात्पर्य एक मतदाता के उस चुनाव व्यवहार से है जिसका प्रदर्शन वह चुनाव अभियान एवं मतदान में करता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मतदान व्यवहार को लेकर अनेक अध्ययन हुये हैं। लेकिन मतदान का कोई सर्वसम्मत सिद्धान्त नहीं खोजा जा सका, जिसके आधार पर भविष्वाणी की जा सके। एक चुनाव क्षेत्र के अध्ययन निष्कर्ष दूसरे चुनाव क्षेत्र पर लागू नहीं हो पाते हैं। चुनाव सम्बन्धी अध्ययनों में मतदान व्यवहार को परिभाषित किया गया है। कुछ विद्वानों ने मतदान व्यवहार को सरकारी कार्यों का क्रमिक मूल्यांकन एवं उनके सन्दर्भ में अपने निर्णय की अभिव्यक्ति माना है। तात्पर्य यह है कि मतदान की प्रक्रिया में एक मतदाता सरकार तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकलापों का पुनरावलोकन करता है और उन पर अपना निर्णय देता है, जो जीत अथवा हार में परिलक्षित होता है।

एन.जी.एस. किनी की मान्यता है कि "व्यक्तियों एवं उपवर्गों का मत व्यवहार सामाजिक परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया एवं उसका परिणाम है। मतदान के प्रयोग द्वारा ये अपनी स्थिति को सुधारने की इच्छा को लेकर परिवर्तन को संशोधित करने, गतिमान करने एवं उसके मूल्य व दिशा को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं।

कार्ल जे. फ्रेडिक के अनुसार "यह प्रजातांत्रिक शासन को वैधता प्रदान करने की प्रक्रिया में एक पहलू है अर्थात् मतदान करते समय व्यक्ति सरकार को कार्य करने के लिए वैधता प्रदान करता है।

मतदान की प्रक्रिया किसी भी मतदाता की पहचान, उसकी पार्टी, समुदाय और समूह के लिए प्रतिकात्मक अभिव्यक्ति बन जाती है। इस प्रकार प्रजातांत्रिक सरकार के स्थायित्व और संचालन में मतदान का महत्वपूर्ण योगदान है। निर्वाचन के दौरान लोगों में यह शान्तिपूर्ण अलगाव की स्थिति उत्पन्न करता है। राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत यह प्रजातांत्रिक राष्ट्र का संगठन है। यह लोगों को एक सार्वभौमिक सरकार का निर्माण करने और दोषपूर्ण सरकार को हटाकर उसके स्थान पर अच्छी सरकार बनाने के अवसर प्रदान करता है। यह लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाता है, उनकी राजनीतिक सजगता को बढ़ावा देता है तथा सरकार के आधारभूत उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नयी ऊर्जा का सृजन करता है। इस प्रकार यह नागरिकता के सन्दर्भ में वास्तविकता और नये अर्थों की जानकारी भी दिलाता है।

मतदाता व्यवहार का अध्ययन 20वीं सदी की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सर्वप्रथम फ्रांस में 1913 में मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया। इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में इसका अध्ययन व्यापक रूप से किया जाने लगा। भारत में 1957 के द्वितीय आम चुनावों के पश्चात् इस प्रकार के अध्ययनों पर बल दिया जाने लगा। इस प्रकार के अध्ययन देश और विदेश के अनेक विद्वानों द्वारा किये गये तथा इस विषय पर आनुभाविक एवं वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षणांे पर आधारित अनेक लेख और पुस्तकें प्रकाशित हुई। राजनीतिक व्यवस्था में चुनावों की जटिल भूमिका को निर्वाचकों के मतदान व्यवहार के आधार पर ही स्पष्ट करना संभव होने के कारण मतदान व्यवहार अत्यधिक लोकप्रिय होने लगा। यूरोप-अमेरिका में तो इन आम चुनावों को लेकर ऐसे अध्ययन किये तथा यह समझने का प्रयास किया गया कि व्यक्ति का मतदान व्यवहार कब, क्यों, कैसे तथा किन तत्वों से प्रभावित रहता है? सभी मतदान व्यवहार के अध्ययनों का केन्द्र बिन्दु तथा प्रमुख उद्देश्य यह जानना रहा कि मतदाता वोट देते समय किस तथ्य से सर्वाधिक प्रभावित रहता है।

लोकतंत्र में निर्वाचन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनता अपनी इच्छित सरकार का निर्माण करती है। निर्वाचनों के माध्यम से जनता अपने मत के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव ही नहीं करती बल्कि उन पर नियंत्रण भी रखती है। निर्वाचनों में विजयी प्रत्याशियों को अगले निर्वाचनों में पुनः मतदाताओं से मत मांगने होते हैं। अतः जागरूक मतदाता निर्वाचकों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को अपने प्रति उत्तरदायी बनाये रखते हैं।

भारतीय राजनीति का स्वरूप भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों से निर्धारित होता है। भारत की अधिकांश जनता का निर्धन, अशिक्षित, रूढीवादी, जातिय बन्धनों में जकड़ी हुई होने के कारण अनेक नेताओं का यह विचार था कि यहाँ वयस्क मताधिकार असफल रहेगा और लोकतंत्रवाद के लिए घातक सिद्ध होगा। लेकिन संविधान निर्माताओं ने वयस्क मताधिकार के सिद्धान्त को स्वीकार किया। भारतीय संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक को चाहे वह किसी भी लिंग, धर्म, जाति या प्रजाति का क्यों न हो, समान मताधिकार प्रदान करता है। भारत जैसे विकासशील देशों में जिनमें अधिकतर लोग अशिक्षित, परम्परावादी एवं मताधिकार के प्रति अनभ्यस्त हैं, वयस्क मताधिकार एवं गुप्त मतदान पर आधारित चुनाव व्यवस्था वाला एक प्रमुख एवं सबसे बड़ा परीक्षण स्थल है।

मतदान व्यवहार में आधारभूत बात मतदाताओं की राजनीतिक जागरूकता है। वे कितनी राजनीतिक समझ रखते हैं, राजनीति में कितनी रूचि लेते हैं और राजनीतिक सहभागिता के लिए कहां तक आगे बढ़ सकते हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए कई तत्व जिम्मेदार हैं और किसी एक कारक को ही लोकतंत्र की सफलता का अधार नहीं माना जा सकता। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का महत्व किसी से छिपा हुआ नहीं है। राजनीतिक दलों की इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसे

नकारा नहीं जा सकता, पर सब कुछ राजनीतिक दलों द्वारा नियमित होता है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। राजनीतिक जागरूकता का राजनीतिक जानकारी या अभिज्ञान से सीधा सम्बन्ध है। राजनीतिक जानकारी राजनीतिक संचार पर आश्रित है। इससे स्पष्ट है कि मतदान आचरण तथा राजनीतिक जानकारी के संचार के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है।

मताधिकार का प्रयोग व्यक्ति के लिए राजनीतिक चेतना का सबसे प्रचलित सुस्पष्ट तरीका है। मतदान की प्रक्रिया मतदाता के व्यवहार के व्यापक आयाम का एक पक्ष है। जैसे-जैसे व्यक्ति का राजनीति के प्रति अनुस्थापन होता है वह मतदान की प्रक्रिया द्वारा राजनीति में भाग लेने का निश्चय करता है, वह मतदान के द्वारा सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करता है। व्यक्ति राजनीतिक दलों तथ प्रत्याशियों की नीतियों का अवलोकन कराते हैं तथा यह निर्णय करते हैं कि किस तरह से मतदान मं भाग लें। सामान्य नागरिकों को सरकारी नीतियों की जानकारी नहीं होती तथापि यह कारक व्यक्ति को राजनीति के लिए महवपूर्ण ढंग से प्रेरित करता है।

मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक

मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक मतदान मनोवैज्ञानिक तत्वों से पे्ररित एक गूढ राजनीतिक प्रक्रिया है, जो अनेक आन्तरिक और बाहरी तत्वों से प्रभावित होता है। स्वाभाविक रूप से मतदान व्यवहार में अनेक कठिनाईयां आती हैं। मतदान में भाग लेने वाले लोगों का अनुपात जनसंख्यात्मक लक्षणों और सामाजिक-आर्थिक पद के अनुसार बदलता रहता है। मतदान में भाग न लेने की प्रवृत्ति स्त्रियों में पुरुषों से अधिक, निरक्षकों में साक्षरों से अधिक, कम आय समूह में ज्यादा आय समूह से अधिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों में सामाजिक दृष्टि से उन्नत वर्गों की तुलना में अधिक होती है। मतदान में भाग न लेने की प्रवृत्ति उनमें भी अधिक होती है, जिन्हें कम राजनीतिक सूचना प्राप्त है अथवा जिन पर संचार के साधनों और अन्य दबावों का प्रभाव कम है।

सामाजिक स्तर पर जाति, परिवार और स्वामित्व, धर्म और शिक्षा सचेतक की भूमिका निभाते हैं जबकि राजनीतिक स्तर पर प्रत्याशी का राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दल और चुनावी घोषणा पत्र सचेतक की भूमिका अदा करते हैं। मतदान के समय स्थानीय सामाजिक, राजनीतिक स्थिति मतदान प्रक्रिया और राजनीतिक सहभागिता को प्रभावती करती है। मतदान व्यवहार का अध्ययन क्षेत्र व्यापक एवं महत्वपूर्ण है। इसमें केवल मतदान करने वालों का ही नहीं वरन उन लोगों के व्यवहारों का भी अध्ययन किया जाता है, जो मतदान नहीं करते। मतदान व्यवहार अध्ययन कोई सरल कार्य नहीं है। न केवल एक क्षेत्र का मतदाता का दूसरे क्षेत्र के मतदाता से व्यवहार भिन्न होता है वरन मतदाता भी कई कारणों से अनुकूल और प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। अनेक मतदाता प्रश्नों के उत्तर देने से इन्कार कर देते हैं या उदासीनता प्रगट करते हैं। ऐसे उत्तरदाता भी होते हैं जो प्रश्न पूछने वाले कार्यकर्ता को सरकारी प्रतिनिधि मानकर सही उत्तर देने से हिचकिचाते हैं। बहुत से मतदाता साक्षात्कार कर्ता को समुचित उत्तर ही नहीं दे पाते। इस वजह से भी मतदान व्यवहार का सही अध्ययन कर पाना कठिन हो जाता है।

एक मतदाता समाज की उभरती हुई स्थिति और आमतौर पर लोगों की राय से बहुत प्रभावित होता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया भी मतदान के समय कई प्रकार के तथ्यों से प्रभावित होती है- जैसे धर्म, जाति, समुदाय, भाषा, योग्यता, सम्पत्ति, रूपरेखा, आदर्शवादिता और मतदान का उद्देश्य आदि। राजनीतिक दल और समूह शक्ति का उपयोग करने में विभिन्न तरीके अपनाते हैं। इसके लिए राजनीतिज्ञ लोगों की अभूतपूर्व कार्य करने की भावनाओं और बुद्धि बल का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। भारतीय राजनीति में मतदान में भाग लेने वाले व्यक्ति सामान्यतया जिन तत्वों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उन्हें हम अध्ययन की सुविधा के लिए दो श्रेणियों सामाजिक-आर्थिक परिवेश तथा राजनीतिक परिवेश में विभाजित कर सकते हैं।

A. सामाजिक-आर्थिक परिवेश

भारत में नहीं अपितु सभी देशों में जहां मतदान होता है, मतदान व्यवहार निर्वाचन क्षेत्र, राज्य विशेष तथा वहाँ रहने वाले मतदाताओं के सामाजिक-आर्थिक परिवेश द्वारा प्रभावित होता है। भारतीय चुनावों में विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक परिवेश का प्रभाव मतदाताओं पर स्पष्ट देखा जा सकता है। इम्तियाज अहमद के अनुसार चुनाव के समय स्थानीय सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ मतदान प्रतिमानों एवं राजनीतिक संलग्नता को प्रभावित करता है। गुन्नार, सजोब्लोग, एम. वीनर तथा रजनी कोठारी जैसे विद्वानों ने भी यही माना है कि भारतीय मतदाताओं को उसका सामाजिक-आर्थिक परिवेश प्रभावित करता है। सामाजिक-आर्थिक परिवेश से सम्बन्धित कतिपय प्रमुख कारक निम्नांकित हैं-

1. परिवार एवं नातेदारी

मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में परिवार एवं नातेदारी का प्रमुख एंव महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में परिवार एवं नातेदारी मतदान व्यवहार को काफी सीमा तक प्रभावित करते हैं तथा आज भी अनेक ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में दलीय वचनबद्धता से परिवार एवं नातेदारी के प्रति निष्ठा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

2. आर्थिक स्थिति

मतदाताओं की आर्थिक स्थिति भी मतदान व्यवहार को बहुत प्रभावित करती है। भारत में करोड़ों मतदाता ऐसे हैं जिन्हें दिन-रात रोटी और कपड़ा की चिन्ता लगी रहती है। ऐसे मतदाताओं के लिए मत का कोई मूल्य ही नहीं होता है। एक सामान्य निष्कर्ष यह है कि यदि लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो प्रायः मतदान शासन दल के पक्ष में होता है अन्यथा मतदान उसके विरूद्ध होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है एवं शासन दल की चेष्टा रहती है कि चुनाव अच्छी कृषि के वर्ष में हो।

3. वर्ग

भारत में सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार जाति एवं वर्ग हैं। प्राचीन भारत में सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग न होकर वर्ण एवं जाति था, किन्तु समय के साथ-साथ औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण तथा शिक्षा एवं विज्ञान के विकास के साथ-साथ भारत में नवीन वर्ग व्यवस्था ने इसकी परम्परागत, सामाजिक संरचना को काफी प्रभावित किया। आज भारत में अनेक वर्ग दिखाई देते हैं जैसे- पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग, शिक्षक वर्ग, अशिक्षित वर्ग, मध्यम वर्ग, दलित वर्ग आदि। भारत में मतदाताओं के व्यवहार को वर्ग के आधार पर भी प्रभावित किया जा रहा है।

4. जाति

रजनी कोठारी, लिण्डसे गार्डनर, मिल्लर, कैम्पबेल, नारमन पामर आदि ने जाति को मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व के रूप में माना है। जिस प्रकार ब्रिटेन में वर्ग मतदान व्यवहार का निर्धारक है, अमेरिका में प्रजाति निर्धारक है, उसी प्रकार भारत में जाति ही मतदान का प्रमुख निर्धारक है। आन्द्रे बेतेई ने भी कहा है कि जाति की निष्ठाओं का मतदान में शोषण किया जाता है।

ए.आर. देसाई ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजनैतिक जीवन में जाति का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है।
हमारा संवधिान जाति के आधर पर किसी से भेदभाव नहीं करता लेकिन भारतीय मतदाता सबसे पहले यह देखता है कि चुनाव में किस जाति के कौन-कौन से उम्मीदवार खड़े हैं। यह बात प्रथम आम चुनाव 1952 से लेकर 2019 तक समस्त चुनावों में देखी जा रही है।

चूंकि मतदाता, उम्मीदवार की जाति के आधार पर मतदान करता है, इसलिए राजनीतिक दल भी उम्मीदवार का चयन करते समय उसकी जाति का हिसाब-किताब देखते हैं। हमारे देश के कई राजनीतिक दल तो सिर्फ किसी एक जाति के लिए ही बने हैं और उस जाति विशेष के वोटों पर ही उनकी नजर रहती है। ठीक इसी प्रकार कई कद्दावर राष्ट्रीय नेता भी अपने जाति के बल पर ही राजनीति में टिके हुए हैं। ऐसे दलों मंे जहां समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और इण्डियन नेशनल लोकदल को लिया जा सकता है तो जाति की राजनीति करने वाले और जाति विशेष बल पर ही राजनीति में टिके रहने वाले नेताओं में मुलायम सिंह यादव, मायावती, लालू प्रसाद यादव, चै. अजती सिंह, ओमप्रकाश चैटाला आदि के नाम गिनाये जा सकते हैं। चुनाव में जातिवाद का सहारा सभी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल लेते हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी जाति विशेष का बहुमत होने पर सभी दल उसी जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारते हैं।

5. धर्म एवं साम्प्रदायिकता

भारत में विभिन्न धर्मों के अनुयायी हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, जैन, बोद्ध, पारसी तथा ईसाई रहते हैं। भारत विभाजन के पश्चात् देश में साम्प्रदायिकता बढ़ी है। इसलिए स्वार्थपूर्ति के लिए राजनीतिक दल इसका लाभ उठाने में पीछे नहीं है। वे टिकट बांटते समय निर्वाचन क्षेत्र की रचना को ध्यान में रखते हैं और प्रायः उसी धर्म के व्यक्ति को टिकट देते हैं जिस धर्म के लोगों के वोट उस निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम होते हैं।

6. क्षेत्रीयता

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में क्षेत्रीय राजनीति अनेक जटिल कारणों का मिश्रण है। प्रत्येक क्षेत्रीय आन्दोलन आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों का परिणाम होता है।

7. उम्मीदवार का व्यक्तित्व

कई बार चुनावों में खड़े उम्मीदवार का व्यक्तित्व मतदाता को उसके पक्ष या विपक्ष में मतदान करने को प्रेरित करता है। मतदाता का प्रत्याशी से सम्बन्ध भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। यदि प्रत्याशी मतदाता का निकट रिश्तेदार है या उसका घनिष्ठ जानकार है या उसके मिलने वालों का परिचित है तो व्यक्ति उन मिलने वालों से आग्रह पर उसी व्यक्ति को वोट दे देता है। चाहे उसकी राजनीतिक निष्ठा किसी अन्य दल के प्रत्याशी के प्रति क्यों ना हो।

8. धन का प्रभाव

आज निर्वाचन प्रक्रिया का सबसे बड़ा दोष है इसमें धन का लगातार बढ़ता हस्तक्षेप। लोकतंत्र का मूल तत्व है कि इसके तहत राजनीतिक सत्ता में प्रत्येक नागरिक की समान रूप से भागीदारी होती है। लेकिन लोकतंत्र का यह मूल आधार आज आर्थिक विषमता के कारण ध्वस्त होता जा रहा है। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक लार्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक 'मॉडर्न डैमोक्रेसीज' में प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा राजनीति में धन के बढ़ते प्रभाव को बताया है।

9. चमत्कारी नेतृत्व का प्रभाव

मतदान व्यवहार को नेतृत्व भी बहुत प्रभावित करता है। जैसे प्रथम तीन निर्वाचनों 1952, 1957 तथा 1962 में कांग्रेस पार्टी की विजय का मूल कारण जवाहर लाल नेहरू का चमत्कारिक नेतृत्व था। 1971 व 1980 के चुनाव में इन्दिरा गांधी के नेतृत्व ने मतदान व्यवहार को प्रभवित किया। 1977 के चुनाव में जय प्रकाश नारायण ने मतदाताओं को प्रभावित किया और जनता पार्टी सत्ता में आई। 1984 में राजीव गाँधी केनेतृत्व के कारण ही कांग्रेस को ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई। 1998 में बारहवीं लोकसभा चुनाव में चमत्कारिक नेतृत्व नहीं उभरा परन्तु अटलबिहारी वाजपेयी एवं श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व ने ही क्रमशः भाजपा को 178 सीटें दिलाकर सबसे बड़े दल के रूप में और कांग्रेस को 142 सीटें दिलाकर पतन होती कांग्रेस को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का व्यक्तित्व ही आम जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर मोड़ा है।

10. गुटबन्दी

भारत में मतदान आचरण को प्रभावित करने वाला एक अन्य दुःखद लक्षण गुटबन्दी है।

भारत में मतदान व्यवहार को कुछ अन्य सामाजिक, आर्थिक कारक भी प्रभावित करते हैं, जिनमें वर्ग, आयु, लिंग, शिक्षा, आय, व्यवसाय, ग्रामीण-शहरी निवास स्थान आदि प्रमुख हैं।

B. राजनीतिक कारक

मतदान व्यवहार सामाजिक-आर्थिक परिवेश के अतिरिक्त राजनीतिक कारकों से भी प्रभावित होता है। राजनीतिक कारकों में निम्नलिखित प्रमुख हैं-

1. राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा

मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक अति महत्वपूर्ण कारक मतदाता की किसी राजनीतिक दल के प्रति पायी जाने वाली निष्ठा है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी निष्ठाएँ होती हैं।

2. स्थिर और सुदृढ़ सरकार की इच्छा

1971-1972 के चुनावों में भी कांग्रेस की विजय का एक प्रमुख कारण यह था कि मतदाता 1967 जैसी अस्थिरता की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे। 1977 के आम चुनावों में जनता पार्टी की जीत का एक कारण यह भी था कि मतदाताओं को विश्वास हो गया था कि कांग्रेस को हरा कर ही वे एक स्थिर और सुदृढ़ शासन स्थापित कर सकेंगें। 2019 में बीजेपी के विजय का मुख्य वजह भी यही रही है कि भारतीय जनता एक मजबूत सरकार चाहती थी।

3. दलीय विचारधारा

इकबाल नरायण का यह निष्कर्ष ठीक प्रतीत होता है कि भारतीय मतदाताओं का सामान्य वर्ग कम तथा प्रबुद्ध वर्ग अधिक राजनीतिक दलों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीति से भी प्रभावित होता है।

भारत में राज्य स्तरीय चुनावों में जो दल क्षेत्रीय प्रश्नों और समस्या के सम्बन्ध में कोई ठोस और आकर्षक कार्यक्रम मतदाताओं के सामने रखते हैं वे पर्याप्त सफलता प्राप्त कर लेते हैं।

4. युद्ध में सफलता-असफलता

युद्ध में सफलता अथवा असफलता भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। 1962 की असफलता का 1967 में कांग्रेस के भाग्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा और 1971 के युद्ध में प्राप्त सफलता ने 1972 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सफलता को बहुत सरल कर दिया।

5. राजनीतिक प्रश्न
चुनाव जिन राजनीतिक प्रश्नों के आधार पर लड़ा जाता है, वे मुद्दे भी मतदान आचरण को प्रभावित करते हैं।

निष्कर्ष :

इस प्रकार निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि मतदान व्यवहार अनेक परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

संदर्भ ग्रन्थ :

1. शर्मा, संजीव कुमार, ‘‘वैश्विक लोकतंत्र की अवधारणाः उद्भव एवं विकास‘‘ जरनल आफ सोशियल साइन्स, यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान, जयपुर, वा. 1, नं. 2, जुलाई 2008, पृ. 39
2. नेमा, जी.पी., जैन, राजेश एवं शर्मा, हरिशचन्द्र, ‘‘भारत में राज्यों की राजनीति‘‘, कालेज बुक डिपो, जयपुर, 2008, पृ. 182
3. धर्मवीर, ‘‘राजनीतिक समाजशास्त्र‘‘, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1983, पृ. 182-83
4. बाल, ए.आर., ‘‘आधुनिक राजनीति और सरकार‘‘, मैकमिलन प्रेस, लन्दन, 1971, पृ. 273
5. भरूचा, कृति, ‘‘इम्पेक्ट आफ आइडेन्टिटी पालिटिक्स आन डिफ्रेन्सियल आर्डर आउटकम: वाट डिटरमाइन्स इण्डिया वोटिंग बिहेवियर‘‘ इकानोमिक एण्ड पालिटिकल वीकली, वा. 34, नं. 6, फरवरी 2003, पृ 550
6. चार्लेज, हिकमैन टीट्स, ‘‘वोटिंग बिहेवियर इन यूनाइटेड स्टेट्स, यूनिवर्सिटी आफ केलीफोर्निया प्रेस, बर्कले, 1935, पृ. 2
7. हरबर्ट, इमरीच एवं रिचर्ड, गार्नेट, ‘‘इलेक्टोरल प्रोसेसः इन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका‘‘, वाॅ. 6, यू एस ए.: दी यूनिवर्सिटी प्रेस शिकागों, 1977, पृ. 527
8. आहूजा, राम, ‘‘भारतीय सामाजिक व्यवस्था‘‘, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 1995, पृ. 300
9. प्रसाद, वीरकेश्वर, ‘‘शासन एवं राजनीति‘‘, ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002, पृ. 239
10. किनी, एन.जी.एस., ‘‘दी सिटी वोटर इन इण्डिया‘‘, चैप्टर-1 न्यू हैवन 1974, पृ. 27
11. फ्रैडरिक, कार्ल जे., ‘‘मैन एण्ड हिज गवर्नमेन्ट‘‘, एशियन पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई, 1963, पृ. 81
12. जोसेफ, पी. हरीश, ‘‘एनसाइक्लोपिडिया आफ सोशियल साइन्स‘‘, वा. ट.टप् मैकमिलन प्रेस, न्यूयार्क, 1962, पृ. 452
13. जोशी, ओ.पी. एवं भारद्वाज, अरूणा, ‘‘भारत में ग्रामीण एंव शहरी स्थानीय शासन‘‘, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2009, पृ. 17
14. वर्मा, एस.पी. एवं नारायण, इकबाल, ‘‘वोटिंग बिहैवियर इन चैन्जिग सोसाइटी: ए कास्ट स्टडी आफ राजस्थान‘‘, मनोहर बुक सर्विस, नई दिल्ली, 1972, पृ. 181
15. भटनागर, मश्दुला एवं माथुर, आदर्श, ‘‘वोटिंग बिहेवियर एण्ड पालिटिकल पार्टीशिपेसन: ए इम्पीरिकल एनालीसिस‘‘ जनरल आफ सोशियल साइन्स, वा-पृए जयपुर, 2008, पृ. 41
16. देसाई, ए. आर., ‘‘कास्ट सिस्टम इन रूरल इण्डिया‘‘, पापूलर बुक डिपो, बाम्बे, 1958, पृ. 121
17. थोरी, नरेन्द्र, ‘‘नेतृत्व, सरकार एवं राजनीति‘‘, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2003, पृ. 212